

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1747 / 2014 / चित्तौड़गढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा।

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सी. के. मोटर्स चित्तौड़गढ़।

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री नवथूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री वी. सी. सोगानी  
अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.07.2017

### निर्णय

1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 41 / वेट / 13-14 चित्तौड़गढ़ में पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 22, 25 के तहत कायम कर में से राशि 1,72,138/- रुपये, शास्ति रुपये 3,44,276/- कुल मांग रुपये 5,16,414/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी एक ओटोमोबाईल्स का डीलर है जो कि ग्राहकों के स्पयेर पार्ट्स को विनिर्माता कम्पनी के नियमों के अनुसार रिप्लेस करता है। प्रत्यर्थी फर्म के सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2013 को सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त यह पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वारंटी रिप्लेशमेन्ट के रूप में मोटर पार्ट्स की बिक्री कुल रुपये 11,47,583/- की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा इस बिक्री को विभाग में प्रस्तुत रिटन में नहीं दर्शाया गया है। अतः इन संव्यवहारों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपवंचन किया जाना निर्धारित किया गया। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा माह जुलाई, 2013 तथा अगस्त, 2013 की अवधि में संग्रहित देय वैट का भी राजकोष में आदिनांक संदाय नहीं किया गया है।

२३८

लगातार.....2

3. इस प्रकार अपवंचन के मद्देनजर सशक्त अधिकारी द्वारा वारन्टी रिप्लेसमेन्ट के रूप में मोटर पार्ट्स की बिक्री राशि रु. 11,47,583 पर वैट राशि रु. 1,72,138/-, अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत वेट की दुगुनी शास्ति 3,44,276/- रु. एवं जुलाई 2013 व अगस्त 2013 की अवधि में संग्रहित संदेय वेट का राजकोष में भुगतान नहीं करने के कारण धारा 22 के अन्तर्गत कुल संग्रहित निर्गत कर राशि रु. 3,50,21,151/- में से उपलब्ध आगत कर 1,57,38,526/- रु. कम करने पर 1,92,82,665/- रु. की मांग कुल वसूल योग्य मांग 1,97,99,079/- रु. कायम की। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष राशि रु. 1,92,82,665/- रु. की मांग स्वीकार करते हुये शेष मांग वेट 1,72,138/- व शास्ति 3,44,276/- रु. को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर राशि रु. 1,72,138/- व शास्ति 3,44,276/- रु. को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी ओटोमोबाईल्स का डीलर है जो कि ग्राहकों के स्पेयर पार्ट्स को विनिर्माता कम्पनी के नियमों के अनुसार रिप्लेस करता है, उसके बदले क्रेता से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करता है। अतः यह व्यवहार हमारी बिक्री नहीं है। उक्त व्यवहार बिक्री का नहीं है फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का आरोपण किया गया। रिप्लेसमेन्ट में प्राप्त माल में बिक्री का अनुबन्ध पूरा नहीं होता है। अतः जब बिक्री ही नहीं है तो उस पर कर नहीं लग सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है :—

7. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 1461/2007/बीकानेर मै. ड्यूनेक मोटर्स प्रा. लि. बीकानेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-बीकानेर निर्णय दिनांक 22.01.2009

५८-

8. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 892/2007/बून्दी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बून्दी बनाम मै. एसोसियेटेड सीमेन्ट कं. लि. लाखेरी बून्दी निर्णय दिनांक 15.01.2009

9. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 2202/2010/सवाईमाधोपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगापुरसिटी बनाम मै. गुप्ता मोटर्स, सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 16.09.2013

अतः उक्त आधार पर प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9618/2003 मोहम्मद इकराम खान एण्ड सन्स बनाम आयुक्त, ट्रेड टेक्स, उत्तरप्रदेश लखनऊ में पारित निर्णय दिनांक 21.7.2004 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाहन क्रेताओं के वाहनों में, वारंटी अवधि में वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा खराब पुर्जों के बदले नए पुर्जे लगाया जाना कर योग्य संव्यवहार है। अतः प्रकरण में निर्णय योग्य बिन्दु यह है कि प्रार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रय किये गये वाहनों की वारंटी अवधि में वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा किए गए अनुबन्ध के तहत खराब पुर्जों को बदलकर नये पुर्जे लगाये जाने सम्बन्धी संव्यवहार पर कर देयता का दायित्व किसका है? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स मरुधरा मोटर्स (टैक्स अप डे 23 पेज 249(2009) के प्रकरण में निर्माता मैसर्स टाटा मोटर्स द्वारा टाटा व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स को वारंटी पीरियड में बदलने के फलस्वरूप दिये गये क्रेडिट नोट्स को विक्रय संव्यवहार की श्रेणी में नहीं लेते हुए तदनुसार आरोपित कर को निरस्त कर दिया था। तथा मोहम्मद इकराम एण्ड सन्स (सुप्रा) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को सन्दर्भित निर्णय के तथ्यों से भिन्न मानते हुए उक्त मैसर्स मरुधरा मोटर्स (सुप्रा) के प्रकरण में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि :-

"19. from the dispassionate and closer consideration of the material on record, it appears to this Court that facts of the present case obtaining in the case of respondent assessee dealer are distinguishable from the facts obtaining in Moh. Ekram's case (supra) before the Hon'ble Supreme Court, therefore, the said judgment of Apex court in Mh., Ekram's case (supra) could not be blindly applied by the Revenue authorities to the facts of respondent assessee's case

20. The major points of distinction between the two are as follows :

(i) In Mhd. Ekram's case relationship between assessee Mohd. Ekram and manufacturer was that of agent and principal, whereas, in the case in hand before this Court the relationship is that of principal to principal and not principal to agent, and that makes the foundational difference.

(ii) In Mohd. Ekram's case, as can be seen from para No. 5, the assessee had supplied the goods for which it received the consideration by way of credit notes and/or other modes of payments whereas in the present case the spare parts of defective parts collected by the assessee M/s Marudhara Motors are sent back physically to the manufacturer M/s TATA Motors. who either replenishes those spare parts or gives credit note equal to the value of such replaced new parts. Thus, transactions between dealer assessee and customer is independent from the one between dealer and the manufacturer here.

(iii) Such spare parts are supplied by the present assessee free of cost to the customers is a fact not disputed by the Revenue in the present case, whereas in Mohd. Ekram's case Hon'ble Supreme Court observed in para no. 6 that. 'in case the manufacturer may have purchased from the open market parts for the purpose of replacement of the defective parts, for such transactions, it would have paid taxes and the position here is not different because the assesses had supplied the parts and received the price.'

21. from the perusal of the agreement between the respondent assessee and the manufacturer, particularly Clause 18 relating to warranty as quoted above, it appears to this Court that in that present case the respondent assessee is merely working on behalf of manufacturer in discharge of manufacturer's contractual obligation under the warranty agreement while replacing such spare parts which have gone defective and such defective parts are sent back by the respondent assessee to the manufacturer, who may either physically replace or replenish them or issue credit notes of value of the new parts replaced on its behalf of the respondent dealer. Since title of property in goods namely spare parts passes from the hands of respondent assessee to the customer free of cost; and such title of property in spare parts does not pass from assessee dealer to the manufacturer, no taxable sale can be said to have taken place in the hands of respondent assessee at all".

प्रस्तुत प्रकरण में भी वस्तुस्थिति उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2009 के अनुसार समान ही है: यथा वारण्टी अवधि में वाहनों के खराब पुर्जों को वाहन निर्माता कम्पनी के अनुबन्ध के तहत assessee/व्यवहारी द्वारा बदला गया है जिसके लिये कम्पनी ने क्रेडिट नोट के जरिये प्रार्थी व्यवसायी को बिना प्रतिफल लिये, बदले गये खराब पुर्जों

की राशि का पुनर्भरण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण सिविल अपील नं 9618/2003 मौहम्मद इकराम खान एण्ड सन्स बनाम आयुक्त, ट्रेड टैक्स, उत्तरप्रदेश, लखनऊ में पारित निर्णय दिनांक दिनांक 21.7.2004 में उल्लेख किया गया है कि यदि वाहनों की निर्माता कम्पनी को खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जों को खुले बाजार से खरीदना पड़ता तो उन्हें कर का भुगतान करना पड़ता। इसका आशय यह है कि यदि वाहनों की निर्माता कम्पनी खराब पुर्जों के बदले नये पुर्जे खुले बाजार से खरीदकर रिप्लेस करती तो उस दशा में वाहनों की निर्माता कम्पनी को कर का भुगतान करना पड़ता। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में कर के भुगतान का दायित्व वाहनों की निर्माता कम्पनी का होता न कि व्यवहारी का। प्रस्तुत अपील सम्बन्धी प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहनों के प्रत्यर्थी व्यवसायी पर कर, सरचार्ज एवं ब्याज का अधिरोपण किया गया है जो कि मूल कर निर्धारण आदेशों को खोलकर एवं नये कर निर्धारण आदेशों के द्वारा खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जों को विक्रय मानकर किया गया है वह वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुरूप नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासांगिक है कि वारणी अवधि में खराब पुर्जों के बदले नये पुर्जे लगाना वाहन की निर्माता कम्पनी के अनुबन्ध के तहत होता है तथा इसका दायित्व भी वाहन निर्माता कम्पनी का ही होता है। यदि वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जे बाजार से खरीदे जाते हैं तो उसका कर दायित्व वाहन निर्माता कम्पनी का ही होगा न कि कम्पनी के डीलर का। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवसायी के द्वारा कम्पनी के अनुबन्ध के तहत उपभोक्ताओं के वाहनों के खराब पुर्जे बदलकर नये पुर्जे लगाये गये हैं, जिसके लिये प्रार्थी व्यवसायी द्वारा उपभोक्ताओं से कोई मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया है इस कारण खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जों पर कर देयता का दायित्व माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय मौहम्मद इकराम खान एण्ड सन्स बनाम कमिशनर ऑफ ट्रेड टैक्स, यू.पी., लखनऊ ए आई आर (2004) पेज 3967) के अनुसरण में वाहन निर्माता कम्पनी का है न कि प्रार्थी व्यवसायी का, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में उल्लेख किया गया है कि :—

"As noted above, in a case manufacturer may have purchased from the open market parts for the purpose of replacement of the defective parts. For such transactions, it would have paid taxes."

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाहन के खराब पुर्जों को वारणी अवधि में बदलने का अनुबन्ध वाहन क्रेताओं (उपभोक्ताओं) के साथ वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा

किया जाता है। ऐसी स्थिति में वाहनों का डीलर/व्यवसायी खराब पुर्जों को बदलने में केवल माध्यम का काम करता है। वस्तुतः वाहनों की निर्माता कम्पनी द्वारा वाहन क्रेताओं से किये गये अनुबन्ध के अनुसार खराब पुर्जों को बदलने का दायित्व भी निर्माता कम्पनी का ही होता है। इस प्रकार बदले गये खराब पुर्जों का क्रय अथवा विनिर्माण भी वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है और इस कारण खराब पुर्जों के बदले वाहन क्रेताओं को उपलब्ध कराये गये नये पुर्जों सम्बन्धी संव्यवहार (transaction) में केवल माध्यम का कार्य करने के लिये वाहन डीलर/व्यवसायी पर कोई कर भार नहीं डाला जा सकता। अतः प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर देयता का कोई दायित्व नहीं है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोधपुर बनाम मरुधरा मोटर्स (Supra) दिनांक 16.03.2009 एवं कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1461/2007/बीकानेर मैसर्स ड्यूनेक मोटर्स प्रा.लि.बीकानेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन बीकानेर में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2009 उद्घृत किये गये, जिनके तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से मेल खाते हैं। अतः हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त उद्घृत निर्णय दिनांक 16.03.2009 से आच्छादित होने के फलस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

१८७२  
(नथू राम)  
सदस्य